7/4/24 परिवादी आज पेश हुआ। उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित है। उभय पक्ष के अधिवक्ता को श्री प्र.प. अन्तर्गत धारा 9(ए) पर बहस सुनी गई। बहस के दौरान विपक्षी अधिवक्ता द्वारा विपक्ष लेख किया गया कि प्र.प. 9(ए) स्वीकृत लेख माना है तो इसे कोई आपत्ति नहीं है। एवं प्रार्थी व वकील द्वारा विपक्ष सुनि के प्रकरण आदेश न्यायालय में विचार हेतु था विपक्षी तारीख पेशी दिनांक 12/7/23 को लेख व विपक्ष पेशी के दिन उपस्थित नहीं हुआ प्रकरण को अदम हाजरी अन्तर पेशी में स्थगित कर दिया न्यायहित में प्रकरण को पुनः दर्ज करने का निर्देश लेख पक्ष पर मय लेख गया परिवादी को अपील लेख गया दिनांक 12/7/2023 को प्रकरण अदम हाजरी अन्तर पेशी में स्थगित कर दिया गया न्यायहित में प्र.प. 9(ए) स्वीकार लेख माना जाता है।

अतः प्र.प. अन्तर्गत धारा 9(ए) का स्वीकार लेख माना, प्रकरण दिनांक 12/7/2023 को अदम हाजरी अन्तर पेशी में स्थगित लेख गया प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया जाने का अधिकार लेख माना है। परिवादी को सब सुविधा हाजर नम्बर में पक्ष है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जयपुर